255

[2022] 9 एस सी आर 255

क.

एम. केंद्र देवी

वी.

तमिल नाडु और अन्य की सरकार (सिविल अपील संख्या (एस)।1918 - 1919 2022 का)

10 मार्च, 2022

[अजय रस्तोगी और अभय एस. ओका, जे. जे.]

सेवा कानूनःतमिलनाडु राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1955 -आर. 35 (एए)-वरिष्ठता-अपीलकर्ताओं को सहायक अभियंता के रूप में चुना गया था-वे 1991-1992 में चुने गए पहले बैच और 1993-1995 में चुने गए दूसरे बैच के प्रत्यक्ष भर्ती थे, लेकिन 1995 और 1998 में उन्हें नियुक्ति मिली-अनुकंपा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार 1993 से नियमित हो गए-1 जनवरी 2004 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में अनुकंपा से नियुक्त उम्मीदवारों को वरिष्ठता सौंपी गई-अपीलकर्ताओं द्वारा दावा-वरिष्ठता के लिए प्रत्यक्ष भर्ती या अनुकंपा से नियुक्त-उच्च न्यायालय ने मानवीय विचार को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और दावे को खारिज कर दिया-अपील पर कहा गयाःअनुकंपा नियुक्तियाँ नागपाल के मामले में फैसले के बाद की गईं-नागपाल के मामले में, अनुकंपा नियुक्तियाँ मृतक के परिवार को राहत देने के उद्देश्य से कक्षा III और कक्षा IV के पदों तक ही सीमित थीं-नागपाल के मामले में फैसला कानून बन गया और Art.141 के तहत राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी बन गया-इसलिए, अनुकंपा नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यकारी आदेश के तहत उक्त फैसले पर की गईं, जो प्रथम दृष्टया, कानून में टिकाऊ नहीं थी-हालाँकि, साथ ही, अनुकंपा नियुक्तियों और नियमितीकरण को चुनौती नहीं दी गई और लंबे समय के बाद और वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के बाद सवाल उठाया गया-इसके अलावा, सहायक अभियंता के पद के लिए उनकी अयोग्यता का कोई आरोप नहीं था -

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

255 ए.

256 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

नियुक्त व्यक्ति दो दशकों से अधिक समय से सेवा में हैं, वरिष्ठता सूची में कोई व्यवधान नहीं है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 141।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** यह न्यायालय न्यायिक नोटिस ले सकता है कि नियुक्तियां पहले द्वितीय श्रेणी के पदों पर की जाती थीं जो आयोग के दायरे में आते हैं और यही कारण था कि नागपाल के मामले में यह न्यायालय यह कहते हुए भारी पड़ गया कि अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है और यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी नियुक्तियां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों तक ही

सीमित होंगी, जिसका उद्देश्य मृतक के परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना होगा, जिन्होंने अचानक अपने कमाने वाले को खो दिया है और आपातकाल से उबरने में मदद करना है।नागपाल के मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद सहायक अभियंता के पद पर की गई अनुकंपापूर्ण नियुक्तियां जो कानून बन गई और संविधान के अनुच्छेद **141** के तहत राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी थी।यदि नियुक्तियाँ की जाती हैं तो राज्य सरकार द्वारा अपने कार्यकारी आदेश के तहत इस न्यायालय का निर्णय, प्रथम दृष्टया, कानून में टिकाऊ नहीं है और यह वास्तव में परिणामी वरिष्ठता से इनकार करता है।**[**पैरा **28,31** और **35] [272-**ई**-**एफ**; 274-**एफ**; 275-**एच**; 276-**ए**]**

ग

डी.

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

ई.

[1994] 3 एस**.** सी**.** आर**. 893-**संदर्भित।

2. विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, यह सवाल अभी भी उभरता है कि क्या ऐसे दयालु नियुक्त व्यक्ति **1** जनवरी**, 2004** को प्रकाशित सहायक अभियंताओं के संवर्ग में अपनी वरिष्ठता का दावा करने के हकदार हैं।सवाल इस कारण से सकारात्मक प्रतीत होता है कि सभी दयालु नियुक्तियां अलग**-**अलग समय पर की गई थीं।अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों के पहले समूह को उनकी नियुक्ति की प्रकृति की परवाह किए बिना **16** जुलाई**, 1993** से नियमित कर दिया गया था और अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों के दूसरे समूह को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित माना गया था और वे नियम**, 1955** की योजना के नियम **35 (**एए**)** के संदर्भ में परिणामी वरिष्ठता का दावा करने के हकदार बन गए थे और यदि इसे इसके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, तो **1** जनवरी**, 2004** को प्रकाशित अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों को सौंपी गई वरिष्ठता में कोई कमजोरी नहीं दिखाई देती है।**[**पारस **39,40] [277-**बी**-**ई**]** ए

च

जी.

एच.

257

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु सरकार और अन्य ए

3. 1 जनवरी**, 2004** की वरिष्ठता सूची से जो तथ्य रिकॉर्ड में आया है और परिलक्षित हुआ है, वह यह है कि अपीलार्थी सीधे भर्ती किए गए हैं, जो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अपने चयन के बाद सेवा में शामिल हुए थे और उनके सेवा का सदस्य बनने से पहले, अनुकंपा नियुक्तियों के पहले और दूसरे बैच को नियमित किया गया था और ऐसा होने के कारण**, 1** जनवरी**, 2004** को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में परिलक्षित अनुकंपा नियुक्तियों की तुलना में सीधे भर्ती किए गए लोगों को वरिष्ठता दी गई है, जो नियम **1955** के नियम **35 (**एए**)** के अनुरूप है।**[**पैरा **41] [277-**ई**-**जी**]**

ग

4. यद्यपि यह न्यायालय नागपाल के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद समूह 'बी' पद के तहत इस तरह की अनुकंपापूर्ण नियुक्तियां करने में राज्य सरकार की प्रथा की निंदा करता है, फिर भी यह न्यायालय वरिष्ठता सूची में खलल डालने से बचता है, जो संबंधित अनुकंपा से नियुक्त सहायक अभियंताओं को सौंपी गई है, जिन्हें नियम**, 1955** के नियम **35 (**एए**)** के तहत निर्विवाद रूप से परिणामी वरिष्ठता दी गई है, जो हस्तक्षेप की मांग नहीं कर सकता है, इस विलंबित चरण में, उनमें से प्रत्येक के दो दशकों से अधिक समय तक सेवा में रहने के बाद और वास्तव में उनमें से प्रत्येक को अधिकार

प्रदान किया जा रहा है और एक व्यक्ति को, हालांकि वह एक लाभार्थी है, लेकिन सेवा में प्रवेश के समय या उसके बाद किसी भी समय गलती नहीं थी।[पारस **46** और **47] [279-**बी**-**डी**]**

डी.

ई.

निर्णीत विधि संदर्भ

[1994] 3 पैरा **10** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 893**

च

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 1918-1919।

2011 के डब्ल्यू. ए. Nos.1826 और 1827 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 22.01.2013 से।

सह

जी.

2022 की सिविल अपील Nos.1920-1922।

गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, वाई. अरुणगिरी, रघुनाथ सेतुपति बी., पी. सोमा सुंदरम, आनंद साथियासीलन, रजत सहगल, प्रणव सचदेवा, एन. सुब्रमण्यन, जतिन भारद्वाज, सुश्री नेहा राठी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

अमित आनंद तिवारी, ए. ए. जी., राकेश के. शर्मा, टी. हरीश कुमार, नवनीत दुगर, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री मैरी मिट्जी, सुश्री देवयानी गुप्ता, डी. कुमानन, आर. चंद्रचूड़, डी. वेंकट कृष्ण, वेंकटेश्वर मूर्ति, वी. रामसुब्रमण्यम, श्रीराम पी., एस. गौतम, जी. वेंकटेश्वर मूर्ति, सुश्री एम. वेनमानी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी**,** जे।

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (इसके बाद "आयोग" के रूप में संदर्भित) द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद सहायक अभियंताओं के रूप में चयनित अधिकारियों द्वारा तत्काल अपीलों को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें उन उम्मीदवारों की वरिष्ठता का दावा किया गया है जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति के रूप में अलग-अलग समय पर सहायक अभियंताओं के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रार्थना की गई है कि 1 जनवरी 2004 को राज्य अधिकारियों द्वारा प्रकाशित सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची में, सहायक अभियंताओं के रूप में नियुक्त किए गए अपीलकर्ताओं के वर्तमान बैच को अनुकंपा के आधार पर सहायक अभियंताओं के रूप में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों से वरिष्ठ स्थान दिया जाए।

ग

डी.

ई.

3. उनकी शिकायत मुख्य रूप से यह है कि आयोग द्वारा एक विज्ञापन जारी करके चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने या तो खुले चयन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था या अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे थे, लेकिन अपने कमाने वाले को खोने के कारण, उन्हें सीधे सहायक अभियंता के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें सीधे भर्ती किए गए सहायक अभियंताओं से वरिष्ठ रखा गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 और तमिलनाडु राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1955 के नियम 35 (इसके बाद "नियम 1955" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) का उल्लंघन है।

च

4. स्वयं या प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच या विभिन्न स्रोतों द्वारा की गई भर्ती को सिद्धांतों को निर्धारित करने वाली नियमों की एक वैधानिक योजना द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जिसके अनुसार वरिष्ठता सूची निर्धारित की जानी है, लेकिन अनुभव से पता चलता है कि इसे कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और यह हमेशा चुनौती का विषय बना हुआ है और यह चुनौती केवल उच्च न्यायालयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस तरह की चुनौतियों का हमेशा इस न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद निपटारा किया जाता है और इससे अधिकारियों के बीच बहुत वैमनस्य पैदा होता है और चूंकि यह न्यायालय भी ए.

जी.

एच.

259

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु और अन्य की सरकार [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की स्थिति में, देरी अपरिहार्य रहती है और व्यक्ति के अधिकार के लिए घातक हो जाती है और वास्तव में उस दक्षता, प्रतिबद्धता और समर्पण को बाधित करती है जिसके साथ कर्मचारी को काम करना चाहिए और प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए।

5. हमारे सामने मामला भी इस तरह का एक जीवंत उदाहरण है।तमिलनाडु राजमार्ग इंजीनियरिंग सेवा के सदस्य बनने वाले सहायक अभियंताओं की सेवा शर्त तमिलनाडु राजमार्ग इंजीनियरिंग सेवा के विशेष नियमों द्वारा शासित होती है और सहायक अभियंता का पद जिसके साथ हम वर्तमान में संबंधित हैं, श्रेणी (5) में संलग्न अनुसूची में इंगित किया गया है जो सेवा में भर्ती के तरीके प्रदान करता है जो नीचे दिया गया है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

			बशर्ते कि सहायक अभियंता, व्यक्तिगत मामलों में, मुख्य अभियंता (राजमार्ग और ग्रामीण कार्य) द्वारा सहायक अभियंता के रूप में उनकी नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार, मुख्य अभियंता (राजमार्ग और ग्रामीण कार्य) द्वारा मुख्य अभियंता (राजमार्ग और ग्रामीण कार्य) के कार्यालय में वरिष्ठ मसौदा अधिकारी, मसौदा अधिकारी या कनिष्ठ मसौदा अधिकारी के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किए जा सकते हैं और इस प्रकार नियुक्त सहायक अभियंता सहायक अभियंता के रूप में उन्हें स्वीकार्य वेतन तब तक प्राप्त करेंगे जब तक कि उन्हें वरिष्ठ मसौदा अधिकारी, मसौदा अधिकारी या कनिष्ठ मसौदा अधिकारी के रूप में बनाए रखा जाता है।
			बशर्ते कि सहायक अभियंताओं को, व्यक्तिगत मामलों में, सहायक अभियंताओं के

			रूप में उनकी नियुक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार, अस्थायी रूप से वरिष्ठ मसौदा अधिकारी, मसौदा अधिकारी या कनिष्ठ मसौदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है -
			(i) अपने सर्कल में मुख्य अभियंता (राजमार्ग और ग्रामीण कार्य) के अनुमोदन से संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा;
			((ख) मुख्य अभियंता (राजमार्ग और ग्रामीण कार्य) द्वारा मुख्य अभियंता (राजमार्ग और ग्रामीण कार्य) के कार्यालय में नियुक्ति के संबंध में और इस प्रकार नियुक्त सहायक अभियंता सहायक अभियंता के रूप में उन्हें स्वीकार्य वेतन तब तक प्राप्त करेंगे जब तक कि उन्हें वरिष्ठ मसौदा अधिकारी, मसौदा अधिकारी या कनिष्ठ मसौदा अधिकारी के रूप में रखा जाता हैः
			बशर्ते कि राजमार्ग और ग्रामीण निर्माण विभाग में मसौदा अधिकारी, कनिष्ठ मसौदा अधिकारी या पर्यवेक्षक जिन्होंने 2 अगस्त 1980

			के बाद बी. ई. की डिग्री प्राप्त की है, वे राजमार्ग और ग्रामीण निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त नए उम्मीदवारों के साथ तमिलनाडु राजमार्ग इंजीनियरिंग सेवा में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

ग

डी.

ई.

6. अपीलार्थी मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2013 को पारित किए गए फैसले से व्यथित हैं।वे आयोग द्वारा वर्ष 1991-1992 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया और वर्ष 1993-1995 में दूसरे बैच से गुजरने के बाद चुने गए पहले बैच के प्रत्यक्ष भर्ती हैं, लेकिन उन्हें वर्ष 1995 और 1998 में नियुक्त किया गया था और उनके नाम 1 जनवरी, 2004 को प्रतिवादी राज्य द्वारा 15 अप्रैल, 2004 को प्रकाशित सहायक इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची में क्रम <ID1,288,336,456 और 571 में उल्लिखित हैं, जो नियम, 1955 के नियम 35 (एए) के संदर्भ में निर्धारित किया गया था।

च

जी.

एच.

261

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु और अन्य की सरकार [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

क.

7. उसी समय, सरकार ने पहली बार 15 फरवरी, 1972 को जी. ओ. No.225 जारी किया, जिसमें उन सेवाओं में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई जो आयोग के दायरे से बाहर हैं, लेकिन जिन्हें बाद में जी. ओ. No.1119 दिनांक 20 मई, 1981 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें आयोग के दायरे में आने वाले तकनीकी पदों पर अस्थायी आधार पर योग्य पेशेवरों/आश्रितों को इस परंतुक के साथ नियुक्त करने की अनुमति दी गई कि ऐसे अनुकंपा से नियुक्त लोगों को नियमित नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता में आयोग के समक्ष बाद में उपस्थित होना होगा।लेकिन 20 मई, 1981 के जी. ओ. No.1119 को जी. ओ. No.156 दिनांक 16 जुलाई, 1993 द्वारा और संशोधित किया गया, जिसमें तमिलनाडु लोक सेवा आयोग विनियम, 1954 के विनियम 16 (बी) के संदर्भ में आयोग से सहमति प्राप्त करने के बाद अपनी सेवा को नियमित करने के लिए अनुकंपा से

नियुक्त किए गए लोगों, जो तकनीकी रूप से योग्य आश्रित हैं, या ऐसे अनुकंपा से नियुक्त किए गए लोगों को नियमित आधार पर नियुक्त करने की अनुमति दी गई।

ग

8. इसके परिणामस्वरूप, ऐसे उम्मीदवार जिन्हें 20 मई, 1981 के जी. ओ. के अनुसार अनुकंपा के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, उन्हें 16 जुलाई, 1993 से नियमित कर दिया गया था, जिस तारीख को संशोधित जी. ओ. प्रभावी हुआ था और जिन्हें 16 जुलाई, 1993 के जी. ओ. के बाद नियुक्त किया गया था, उन्हें अनुकंपा के आधार पर सहायक अभियंता के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित नियुक्त माना जाता था।

डी.

ई.

9. सहायक अभियंता के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवार दो श्रेणियों में आते हैंः- (i) सहायक अभियंताओं के रूप में वे अनुकंपा से नियुक्त व्यक्ति जिन्हें 20 मई, 1981 के बाद शुरू में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और 16 जुलाई, 1993 से नियमित हो गए थे और सेवा के सदस्य बन गए थे; और (ii) जो 16 जुलाई, 1993 के बाद अनुकंपा से नियुक्त किए गए हैं और उनकी प्रारंभिक नियुक्ति को ही सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नियमित नियुक्ति माना जाता है और वे सेवा में प्रवेश की तारीख से सेवा के सदस्य बन गए हैं।20 मई, 1981 के जी. ओ. No.1119 और 16 जुलाई, 1993 के जी. ओ. No.156 के उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

"तमिलनाडु सरकार

रोजगार सहायक-मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार सहायता-के लिए नियुक्ति

एच.

आश्रितों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार-आदेश-जारी किए गए

श्रम और रोजगार विभाग

G.O.Ms। सं. 1119

तारीखः20.05.1981

फिर से पढ़ें

1. G.O.Ms.No। 225, श्रम और रोजगार दिनांक 15.02.72 2।G.O.Ms.No। 560, श्रम और रोजगार दिनांक 03.08.77।यह भी पढ़ेः3. सचिव से, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग पत्र संख्या 8301/बी2/77 दिनांक 28.12.77।

ग

4. सरकार. पत्र सं. 157/एन-आई/78-5, दिनांक 22.07.78।

5. सचिव की ओर से, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग पत्र सं। Lr.No। 8301/B2/77 दिनांकित 02.09.78।

डी.

****

आदेशः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ऊपर पहले पढ़े गए जी. ओ. में, सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर आने पर सभी पदों पर बेटे/अविवाहित बेटी और सरकारी कर्मचारी के करीबी रिश्तेदार की भर्ती की अनुमति दी है, जो रोजगार विनिमय के संदर्भ के बिना मृत्यु हो गई थी।

ई.

2. ऊपर पढ़े गए जी. ओ. द्वितीय में, उपरोक्त रियायत उन मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को दी गई थी, जिनकी मृत्यु आई. डी. 1 से पहले हो गई थी और यह रियायत तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाले पदों के लिए भी लागू की गई थी।इसमें यह भी आदेश दिया गया था कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को किसी भी विभाग में नियुक्त किया जा सकता है यदि आवेदक की योग्यता उसी विभाग में उसकी नियुक्ति की अनुमति नहीं देती है जिसमें उसके माता-पिता या पति या पत्नी ने सेवा की है या यदि उसके पास बाहरी विभाग में नियुक्ति के लिए बेहतर योग्यता है बशर्ते कि दूसरे विभाग का प्रमुख भी अपनी सहमति दे।हालाँकि आश्रित को ए के लिए आवेदन करना चाहिए।

च

जी.

एच.

केवल उस कार्यालय में नियुक्ति जिसमें सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय सेवा में था, ताकि कार्यालय याचिका में तथ्यों जैसे मृत्यु की तारीख, परिवार की गरीब परिस्थितियों आदि का सत्यापन कर सके। ऊपर पढ़े गए चौथे सरकारी पत्र में, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को सूचित किया गया था कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के साथ गरीब परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और निराश्रित प्रकृति व्यक्ति की शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के अनुरूप यथासंभव नियुक्ति की गारंटी दे सकती है और यह कि नियुक्ति किसी भी विभाग में उपलब्ध कराई जा सकती है, और इसलिए G.O.Ms.No में आदेश जारी किए गए हैं। 560 श्रम और रोजगार डी.3-8-77 इस संबंध में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।3. ऊपर पढ़े गए तीसरे और पांचवें पत्र में, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने अपना विचार व्यक्त किया है कि सरकार का विषय आजीविका के तत्काल साधन प्रदान करना है जब कमाने वाले की नौकरी में मृत्यु हो जाती है और यह पर्याप्त से अधिक होगा यदि मृतक के किसी करीबी रिश्तेदार को एक जूनियर सहायक से अधिक उच्च पद पर रोजगार प्रदान किया जाए। आयोग ने यह भी माना है कि हालांकि, यह उम्मीदवार के लिए खुला होगा, जो उच्च पद के लिए योग्य है, सामान्य पाठ्यक्रम के माध्यम से इसमें आवेदन करने के लिए।आयोग का यह भी विचार है कि G.O.Ms.No में जारी किए गए आदेश। 560, श्रम और रोजगार, दिनांक 03.8.77 के परिणामस्वरूप नियुक्ति या सामान्य पाठ्यक्रम से बाहर की डिग्री रखने वाले व्यक्ति को डिप्टी कलेक्टर के रूप में या इसी तरह के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।यदि किसी स्नातक को उप-कलेक्टर या पुलिस उपाधीक्षक या इसी तरह के पदों पर नियुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य स्नातक को मृतक के परिवार की गरीब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केवल कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो यह भेदभाव के बराबर होगा।इसलिए आयोग ने सरकार से मामले की विस्तार से जांच करने और उसके द्वारा दिए गए सुझाव पर उपयुक्त आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।4. सरकार ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के उपरोक्त सुझाव की सावधानीपूर्वक जांच की है।उनका मानना है कि उम्मीदवार को उसके पास मौजूद योग्यताओं के संदर्भ में नियुक्त करना उचित और उचित होगा और बी. ई. <आई. डी. 1. आदि जैसी तकनीकी/पेशेवर योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त करना प्रशासनिक समीचीन नहीं होगा।इसलिए सरकार आंशिक रूप से

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

264

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

G.O.Ms.No में जारी आदेशों का संशोधन। 560 श्रम और रोजगार डी.3.8.77 निर्देश दें कि तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता रखने वाले मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को रोजगार विनिमय और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को उस पद की प्रारंभिक या प्रारंभिक श्रेणी में संदर्भित किए बिना अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाए, जिसके लिए उसकी योग्यता न्यूनतम निर्धारित है, या तो उस विभाग में जहां उसकी मृत्यु के समय माता-पिता हैं या किसी अन्य विभाग में, जिसमें ऐसे पद मौजूद हैं, उदाहरण के लिए, यदि मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के पास बी. ई. या बी. एस. सी. (कृषि) की डिग्री है, तो उन्हें क्रमशः सहायक अभियंता, सिविल सहायक सर्जन और उप कृषि अधिकारियों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है।इसी तरह बुद्धिमान डिप्लोमा धारकों को संबंधित अधीनस्थ सेवा में सबसे निचली श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा।ऐसे सभी उम्मीदवार बाद में सामान्य माध्यम से टी. एन. पी. एस. सी. में आवेदन करेंगे और पद पर नियमित नियुक्ति के लिए चुने जाएंगे।मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के संबंध में, जिनके पास तकनीकी/पेशेवर के अलावा उपयुक्त अपेक्षित योग्यता है, उन्हें टीएनपीएससी विनियमन 1954 के विनियमन 16 (बी) के बाद के तहत प्राप्त किए जा रहे तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की सहमति के अधीन रोजगार विनिमय के संदर्भ के बिना नियमित रूप से कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

ग

डी.

ई.

5) यह आदेश सरकारी आदेश के जारी होने से प्रभावी होता है।

ह /-

सरकार के सचिव, श्रम और रोजगार विभाग (सरकार के आदेश से)

च

आर. वरदराजुलु, सरकार के सचिव।

को,

जी.

विभाग के सभी प्रमुख।"

" तमिलनाडु सरकार ए

एच.

265

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु और अन्य की सरकार [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

सार्वजनिक सेवाएँ-तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता रखने वाले आश्रित की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति-तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के परामर्श से सेवाओं का नियमितीकरण-आदेश जारी किए गए।

श्रम और कर्मचारी विभाग **G.O.Ms.No.156**

तारीखः16.07.93

पढ़िएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1.G.O.Ms.No.1119 श्रम और रोजगार 20.05.81 2.G.O.Ms.No.23 श्रम और रोजगार दिनांक 10.2.93 यह भी पढ़ेः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

3. तमिलनाडु लोक सेवा आयोग, मद्रास Lr.no।1089/ ई 4/92 दिनांकित 22.5.92।

****

डी.

आदेशः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ऊपर पहले पढ़े गए सरकारी आदेश में यह आदेश दिया गया है कि तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता वाले मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अस्थायी रूप से उस पद की प्रारंभिक या प्रारंभिक श्रेणी में नियुक्त किया जाए जिसके लिए उसकी योग्यता सेवा नियमों में निर्धारित न्यूनतम है।यह भी आदेश दिया गया है कि इस तरह की नियुक्ति केवल तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के लिए होगी, बाद में सामान्य तरीके से और इस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए स्वयं का चयन किया जाएगा।

ई.

च

2. इस प्रक्रिया में अंतर्निहित जोखिम सामान्य माध्यम में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के आश्रित का चयन न होने की संभावना है।फिर वह नौकरी खो देगा और इस तरह उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए यह योजना तैयार की गई थी। यह सरकार के इस निर्देश के विपरीत भी होगा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए।एक बार जब सरकार उम्मीदवार के पास मौजूद योग्यता के अनुरूप रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता को पहचान लेती है, तो केवल एक वर्ग के व्यक्तियों को खतरे में डालना उचित नहीं लगता है क्योंकि उन्हें उच्च योग्यता के कारण इंजीनियर, सिविल सहायक सर्जन आदि के रूप में नियुक्ति मिलती है।

जी.

एच.

266

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. सरकार ने मौजूदा प्रक्रिया की फिर से जांच की है और अपने विचारों के लिए तमिलनाडु लोक सेवा आयोग को संबोधित किया है।तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने ऊपर पढ़े गए अपने पत्र में ऊपर उल्लिखित विशिष्टता को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है।इसलिए सरकार निर्देश देती है कि जी. ओ. में जारी किए गए आदेश जो पहले ऊपर पढ़े गए हैं और जिन्हें ऊपर पढ़े गए जी. ओ. द्वितीय के पैरा 11 में जारी किया गया है, उन्हें आंशिक रूप से इस प्रभाव से संशोधित किया जाता है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में तकनीकी या व्यावसायिक रूप से योग्य उम्मीदवारों के संबंध में किए गए भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए।सरकार निर्देश देती है कि तकनीकी या पेशेवर रूप से योग्य मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को संबंधित अधिकारियों द्वारा नियुक्ति की जानी चाहिए, पद की सबसे निचली श्रेणी में या जो उनकी योग्यता सीधे भर्ती के लिए प्रासंगिक सेवा नियमों में न्यूनतम निर्धारित है, अस्थायी रूप से पहली बार में, बशर्ते रिक्तियां हों और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वर्णित शर्त पूरी हो।इसके बाद तमिलनाडु लोक सेवा आयोग विनियम, 1954 के विनियम 16 (बी) के बाद के भाग के तहत तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने के बाद नियुक्ति की तारीख से उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। 4.तकनीकी और पेशेवर रूप से योग्य आश्रितों के मामलों में, जिन्हें पहले ही इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा चुका है कि उन्हें तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा स्वयं का चयन कराना होगा, सामान्य रूप से उनकी सेवाओं को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग विनियम, 1954 के विनियम 16 (बी) के उत्तरार्ध भाग के तहत तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने के बाद इस आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

(सरकार के आदेश से) R.VARADARAJUL सरकार का सचिव

जी.

सेवा में

सभी विभाग प्रमुख।

ह /-

अधीक्षक "

एच.

267

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु और अन्य की सरकार [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

क.

10. इस अदालत के फैसले के बावजूद उमेश कुमार में रिपोर्ट की गई

नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1 ने 04 मई, 1994 को निर्णय लिया।

जहां यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुकंपा नियुक्तियां नामकरण के अनुसार श्रेणी III और श्रेणी IV या समूह 'सी' और समूह 'डी' तक ही सीमित होंगी, राज्य सरकार ने तब भी इस नीति को जारी रखने की अनुमति दी और 19 जुलाई, 2006 को अपने जी. ओ. No.61 द्वारा समूह 'सी' और समूह 'डी' पदों तक सीमित अनुकंपा नियुक्तियों पर प्रतिबंध

लगा दिया।परिणामस्वरूप, यह न्यायालय न्यायिक नोटिस ले सकता है कि नागपाल के मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद भी (4 मई, 1994 को निर्णय लिया गया) जो वास्तव में कानून बन गया और संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत एक बाध्यकारी बल है, फिर भी सरकार संज्ञान लेने में विफल रही और द्वितीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति करने की इस प्रथा की अनुमति दी, जिसे इस न्यायालय द्वारा 19 जुलाई, 2006 को जी. ओ. के संशोधित होने तक पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था।

ग

11. 1 जनवरी, 2004 को पहली बार सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची राज्य प्रत्यर्थी द्वारा 15 अप्रैल, 2004 को प्रकाशित की गई थी।जिन सहायक इंजीनियरों को शुरू में तदर्थ आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था और 16 जुलाई, 1993 को नियमित किया गया था, उन्हें अलग से वर्गीकृत किया गया है और उनके नाम वरिष्ठता सूची में सीनियर आईडी1 से 181 तक दिखाए गए हैं और जिन उम्मीदवारों के दूसरे बैच को वर्ष 1995 में नागपाल के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले के बाद निर्विवाद रूप से अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, उन्हें Sr.Nos.288-307 से शुरू होने वाले एक अलग ब्लॉक में दिखाया गया है और उसके बाद, जिन उम्मीदवारों का चयन वर्ष 1991-1992 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया के संदर्भ में खुले चयन के माध्यम से किया गया था, उन्हें वर्ष 1995 में नियुक्त किया गया था और वर्ष <आईडी1 में शुरू किए गए उम्मीदवारों के दूसरे बैच की चयन प्रक्रिया।चूंकि उक्त अवधि की प्रत्यक्ष भर्तियां 1 जनवरी 2004 को राज्य प्रत्यर्थी द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूची में अनुकंपा से नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ हो गईं, इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिकाएं दायर करके प्रत्यक्ष भर्ती सहायक अभियंताओं के कहने पर यह चुनौती का विषय बन गया।

डी.

ई.

च

जी.

12. शुरू में, जब उनके कहने पर रिट याचिकाएं दायर की गईं, तो सहायक अभियंताओं के रूप में अनुकंपा से नियुक्त लोगों की नियुक्ति पर ही सवाल उठाया गया और इसके परिणामस्वरूप, यह प्रार्थना की गई कि रिट याचिकाकर्ताओं को अनुकंपा से नियुक्त लोगों की वरिष्ठता में अधिक रखा जाए।

1 (1994) 4 एससीसी 138

एच.

13. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अनुकंपा नियुक्तियां शुरू में 20 मई, 1981 के जी. ओ. के अनुसार और बाद में 16 जुलाई, 1993 के जी. ओ. द्वारा की गई थीं और इतने लंबे समय के अंतराल के बाद देर से चरण में चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हैं और यही कारण था कि विद्वान एकल न्यायाधीश पर अंतर-गर्भावस्था अवधि में सहायक अभियंताओं के रूप में अनुकंपा नियुक्तियों की नियुक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करने का अधिकार था और आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि वरिष्ठता परिणामी है और नियम, 1955 के नियम 35 (ए. ए.) के संदर्भ में नियमित नियुक्ति की तारीख से निर्धारित की गई है, जो नियमों के अनुसार सख्ती से है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. डिवीजन बेंच के समक्ष वर्तमान अपीलकर्ताओं के आग्रह पर अपील किए जाने पर, डिवीजन बेंच ने अपने विवादित फैसले में वास्तव में नागपाल के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले की अनदेखी करते हुए अनुकंपा के आधार पर सहायक अभियंता के पदों पर इस तरह की नियुक्तियों के तरीके के बारे में अपनी पीड़ा और कड़ा अपवाद दर्ज किया है, लेकिन मानवीय विचार और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गंगा में बहुत पानी बहाया जाता है और ऐसी अनुकंपा नियुक्तियां 20 मई, 1981 के जी. ओ. के अनुसार की जा रही हैं, जिसके बाद 16 जुलाई, 1993 के जी. ओ. के अनुसार, डिवीजन बेंच हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं थी और तदनुसार, 22 जनवरी, 2013 के विवादित फैसले द्वारा उनकी अपीलों को खारिज कर दिया, जो एक विषय है।

ग

डी.

ई.

15. अपीलार्थियों के लिए उनके आदेश पर सामान्य उग्रता के साथ विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनुकंपा नियुक्तियां खुले चयन के लिए अपवाद हैं और नियमों की वैधानिक योजना के तहत निर्धारित भर्ती का एक नियमित तरीका नहीं है और निर्विवाद रूप से, अनुकंपा नियुक्तियों के वर्तमान बैच को केवल उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर नियुक्त किया गया था और अनुकंपा नियुक्तियों के पहले बैच को 16 जुलाई, 1993 से नियमित किया गया था और नियुक्ति की तारीख से दूसरे बैच को आयोग द्वारा आयोजित नियमित चयन के विपरीत और चयन की प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाला समय आवेदकों के नियंत्रण से बाहर था और उनकी नियुक्तियां बाद में वर्ष 1995 या 1998 में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की जाती हैं और कम से कम ऐसी अनुकंपा के आधार पर की जाती हैं।

च

जी.

16. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि सहायक अभियंता के पदों पर अपनी स्थापना के बाद से अनुकंपा नियुक्ति ए में थी

एच.

269

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु और अन्य की सरकार [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन एक सीमित अपवाद के साथ वित्तीय संकट से उबरने के लिए सांत्वना प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है और समूह 'सी' और समूह 'डी' की श्रेणी में पद पर अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश करके क्षतिपूर्ति की जा सकती है और वह भी परिवार के कमाने वाले की चिकित्सा अयोग्यता और ऐसी अनुकंपा नियुक्तियों के कारण उनके लिए एक वरदान नहीं हो सकता है और वह भी आयोग द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया की बोझिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद खुले चयन के माध्यम से नियुक्त किए गए ऐसे आवेदकों के अधिकारों का अतिक्रमण करना।17. अपीलार्थियों के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अनुकंपा नियुक्तियों का दूसरा बैच निर्विवाद रूप से वर्ष 1995 के बाद किया गया था और उस समय तक, यह न्यायालय प्रथम/द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए सरकारों पर भारी पड़ गया था और नागपाल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के हस्तक्षेप से, अंत में यह निर्णय लिया गया था कि अनुकंपा नियुक्तियां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों तक ही सीमित होंगी और ऐसी नियुक्तियों को प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए एक वरदान होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ग

डी.

18. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय का निर्णय एक कानून बन गया और संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी होने के बावजूद, सहायक अभियंता के पद पर वर्ष 1995 में और उसके बाद द्वितीय

श्रेणी में की गई नियुक्तियां पूर्व-प्रत्यक्ष रूप से अवैध हैं और ऐसी अनुकंपा नियुक्तियों के बारे में सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एक लंगड़ा बहाना और एक आंख धोने के अलावा और कुछ नहीं है और अपीलार्थी केवल तब व्यथित हुए जब उन्हें वरिष्ठता में उच्च रखा गया था जो 1 जनवरी, 2004 को प्रकाशित किया गया था और कम से कम, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, किसी भी तरह से देरी का श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता था और इस प्रकार उस निष्कर्ष को जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इस प्रावधान के तहत पुष्टि की गई है।

ई.

च

19. वैकल्पिक रूप से अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अनुकंपा से नियुक्त लोगों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के कार्यकाल को देखते हुए, एक कारण हो सकता है जिसके लिए उनकी नियुक्ति में हस्तक्षेप होने की संभावना नहीं हो सकती है, लेकिन साथ ही, इसे वर्तमान अपीलार्थियों को चोट पहुंचाने की कीमत पर नहीं बचाया जा सकता है, जिन्हें खुले चयन के माध्यम से नियुक्त किया गया था, जिसे अंतिम रूप देने में दो से तीन साल लगे और अनुकंपा से नियुक्त लोगों के प्रवेश के बाद उनकी नियुक्तियां की गईं।

जी.

एच.

किसी भी तरह से सेवा को उनके हित के लिए नुकसानदेह नहीं माना जा सकता है।कम से कम, इस हद तक, वर्तमान अपीलकर्ता अपनी वरिष्ठता को अनुकंपा से नियुक्त व्यक्तियों को बचाने के हकदार हैं, जिन्हें सेवा में बनाए रखने और सेवा में सहायक मंडल अभियंताओं के रूप में सेवा करने का कोई वैध अधिकार नहीं है।

20. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील, विवादित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि अनुकंपा नियुक्तियां समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार की जाती हैं और ऐसे अनुकंपा नियुक्त व्यक्ति वर्ष 1985 या 1986 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए और पर्याप्त लंबे समय तक सेवा करने के बावजूद, उन्हें 16 जुलाई, 1993 के जी. ओ. के अनुसार उनकी उपयुक्तता का निर्णय लेने के बाद नियमित किया गया था और तदनुसार, उन्हें वरिष्ठता सौंपी गई है और बाद में नियुक्तियों को नियुक्ति की तारीख से ही नियमित रूप से नियुक्त किया गया था।साथ ही, वर्तमान अपीलार्थी सेवा में शामिल हो गए हैं और अपनी सेवा को नियमित करने और सेवा का सदस्य बनने के बहुत बाद विभाग में स्थान ले लिया है।इस प्रकार, सभी परिस्थितियों में, अनुकंपा से नियुक्त व्यक्तियों को दी गई वरिष्ठता नियम 1955 के नियम 35 (एए) की योजना के अनुसार है।

ग

डी.

21. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि दो से तीन दशकों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद और इस विलंबित चरण में, अपीलकर्ताओं के लिए अपनी नियुक्ति या परिणामी वरिष्ठता पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं हो सकता है और प्रस्तुत करते हैं कि उनकी नियमित करने की तारीख/नियुक्ति की तारीख 16 जुलाई, 1993 या उसके बाद है और साथ ही, प्रत्यक्ष भर्तियां जो 1991-1992 के नियुक्तियों के पहले बैच में हैं, उन्हें वर्ष 1995 में नियुक्त किया जाता है, और प्रत्यक्ष भर्तियों के दूसरे बैच को जिनकी चयन प्रक्रिया वर्ष 1993-1995 में शुरू की गई थी, उन्हें वर्ष 1998 या उसके बाद नियुक्त किया गया था।इस प्रकार, कल्पना के किसी भी विस्तार से, ऐसी सीधी भर्तियां दयालु नियुक्तियों से अधिक वरिष्ठता का दावा कर सकती हैं जो उससे बहुत पहले सेवा में शामिल हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित किए जाने पर सेवा के सदस्य बन गए थे।

ई.

च

जी.

22. इसके अलावा, राज्य के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि अनुकंपा नियुक्तियां सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए जी. ओ. के अनुसार की गई हैं और सहायक इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची तदनुसार 1 जनवरी 2004 को प्रकाशित की गई थी, जो नियम, 1955 की योजना के अनुरूप है और ए.

एच.

271

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु और अन्य की सरकार [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

विवादित फैसले के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, इस न्यायालय द्वारा आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

23. इस न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई के बाद और उस मामले को समाप्त करने से पहले, हमने 23 फरवरी, 2022 के आदेश द्वारा राज्य के वकील से हलफनामा दायर करने के लिए कहा कि क्या कारण था कि इस न्यायालय के फैसले के बाद नागपाल के मामले (उपरोक्त) (04 मई, 1994 को निर्णय लिया गया) में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति कक्षा III और श्रेणी IV या समूह 'सी' और समूह 'डी' तक सीमित होगी, फिर भी सरकार ने कक्षा II में नियुक्तियां करने की इस नीति को जारी रखने की अनुमति दी, जब तक कि जी. ओ. द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2006 को वापस नहीं लिया गया।

ग

24. तदनुसार, राज्य प्रत्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण के पैराग्राफ (6) में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है और यह कहा गया है कि नागपाल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को विधि विभाग द्वारा 27 सितंबर, 2001 के अपने पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया गया था और इसके अनुसार, सरकार ने 29 नवंबर, 2001 के पत्र द्वारा शिक्षकों, डॉक्टरों और पुलिस कांस्टेबुलरी जैसे कुछ श्रेणी के पदों को आवश्यक पदों के रूप में छोड़ने के अलावा अनुकंपा नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया और राज्य के विद्वान वकील द्वारा सूचित किया गया है कि कक्षा II के शिक्षक श्रेणी में चार अनुकंपा नियुक्तियां की गई थीं और बाद में 19 जुलाई, 2006 को समूह के पदों पर अनुकंपा नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था।

डी.

ई.

25. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

26. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा 20 सितंबर, 2013 को नोटिस जारी किया गया था और जो सीमित मुद्दा विचार के लिए खुला रहता है, वह दयालु नियुक्तियों की अंतर वरिष्ठता और प्रत्यक्ष भर्तियों तक ही सीमित है।इस न्यायालय द्वारा 20 सितंबर, 2013 को पारित आदेश इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

“देरी को माफ कर दिया गया।इस विशेष अनुमति याचिका के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. पी. राव को सुना।श्री राव का कहना है कि याचिकाकर्ता 37 तक प्रतिवादी Nos.5 की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे रहा है।हालाँकि, उनका कहना है कि हालाँकि उन्हें याचिकाकर्ता से पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका नियमितीकरण उनके बाद आया है

जी.

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जी. ओ. दिनांक 26.9.1996 द्वारा नियुक्ति।याचिकाकर्ता व्यथित है क्योंकि हालांकि इन उत्तरदाताओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है, अत्यधिक अनियमित तरीके से उन्हें उससे वरिष्ठता दी जा रही है, हालांकि वह योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती है।वह इस याचिका को केवल वरिष्ठता के मुद्दे तक सीमित कर रहे हैं।इसे ध्यान में रखते हुए, विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करें।अंतरिम राहत के लिए भी प्रार्थना पर नोटिस जारी करें।"

27. यह विवादित नहीं है कि सहायक अभियंता का पद द्वितीय श्रेणी में है और नियम 1955 की योजना के अनुसार, इसे सीधी भर्ती या स्थानांतरण द्वारा भर्ती के माध्यम से भरा जाना है।ये नियमों की योजना के तहत नियमित चयन करने के लिए अनुमत भर्ती के दो तरीके हैं और जहां तक सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति का संबंध है, इसे आयोग द्वारा खुले चयन के माध्यम से सख्ती से किया जाना है।

ग

28. यह अच्छी तरह से तय है कि अनुकंपा नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप खुले चयन के माध्यम से सार्वजनिक रोजगार के सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है और अनुकंपा नियुक्ति देने का उद्देश्य परिवार को कुछ संकट से उबरने में सक्षम बनाना और परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना है, जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है।अनुकंपा नियुक्तियाँ हमेशा आश्रितों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं और मृतक द्वारा धारण किए गए पद जो सेवा का सदस्य था और यह न्यायालय न्यायिक नोटिस ले सकता है कि नियुक्तियाँ पहले द्वितीय श्रेणी के पदों में की गई थीं जो आयोग के दायरे में हैं और यही कारण था कि नागपाल के मामले (ऊपर 4 मई, 1994 को निर्णय लिया गया) में यह न्यायालय यह कहते हुए भारी पड़ गया कि अनुकंपा नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है और यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी नियुक्तियाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों तक ही सीमित होंगी, जिसका उद्देश्य मृतक के परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना होगा, जिन्होंने अचानक अपने कमाने वाले को खो दिया है और आपातकाल से बाहर निकलने में मदद करना है।नागपाल के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- “2. सवाल उन विचारों से संबंधित है जो अनुकंपा के आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति देते समय मार्गदर्शन करना चाहिए।ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर काफी उलझन है।एक नियम के रूप में, लोक सेवाओं में नियुक्तियां सख्ती से आवेदनों और योग्यता के खुले निमंत्रण के आधार पर की जानी चाहिए। नियुक्ति का कोई अन्य तरीका नहीं और न ही कोई अन्य विचार

डी.

ई.

च

जी.

एच.

273

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु और अन्य की सरकार [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

अनुमति है।न तो सरकार और न ही सार्वजनिक प्राधिकरण किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करने या पद के लिए नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताओं में ढील देने के लिए स्वतंत्र हैं।हालाँकि, इस सामान्य नियम का, जिसका हर मामले में सख्ती से पालन

किया जाना है, न्याय के हित में और कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं।ऐसा ही एक अपवाद एक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर जाता है और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ देता है।ऐसे मामलों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, नियमों में एक प्रावधान किया गया है ताकि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है।इस प्रकार अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारण किए गए पद के लिए बहुत कम पद दिया जाए।इसके अलावा, केवल एक कर्मचारी की मृत्यु उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का हकदार नहीं बनाती है।सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है, और यह केवल तभी होता है जब यह संतुष्ट होता है, कि रोजगार के प्रावधान के अलावा, परिवार इस संकट को पूरा नहीं कर पाएगा कि परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जानी है।कक्षा III और IV में पद गैर-मैनुअल और मैनुअल श्रेणियों में सबसे कम पद हैं और इसलिए अकेले उन्हें अनुकंपा के आधार पर पेश किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना और आपातकाल से उबरने में मदद करना है।नियम को अपवाद बनाकर ऐसे सबसे निचले पदों पर रोजगार का प्रावधान उचित और वैध है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण नहीं है।ऐसे पदों पर मृत कर्मचारी के ऐसे आश्रित के साथ दिए गए अनुकूल व्यवहार का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है।, निर्धनता के खिलाफ राहत।इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कोई अन्य पद दिए जाने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है।इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि मृतक के बेसहारा परिवार के विपरीत लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक बेसहारा नहीं हैं।मृतक कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बनाए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वैध अपेक्षाओं और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

पूर्ववर्ती रोजगार से उत्पन्न परिवार की स्थिति और मामलों में, जो अचानक बदल जाते हैं।"

(जोर दिया गया) 29।तत्काल मामले में, सहायक अभियंता के पद पर अनुकंपा नियुक्तियां की गईं, जिन्हें द्वितीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन निर्विवाद रूप से 20 मई, 1981 के सरकारी आदेश के संदर्भ में किया गया था, जिसके बाद 16 जुलाई, 1993 के जी. ओ. के साथ किया गया था और राज्य सरकार ने अंततः इन जी. ओ. को वापस ले लिया, जिसके अनुसार अनुकंपा नियुक्तियों को नागपाल के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के 19 जुलाई, 2006 के जी. ओ. द्वारा दिए गए फैसले के अनुपालन में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी तक सीमित कर दिया गया था।

ग

30. यह भी विवादित नहीं है कि 16 जुलाई, 1993 से पहले सहायक अभियंता के पद पर की गई अनुकंपा नियुक्तियां तदर्थ/अस्थायी आधार पर की गई थीं और 16 जुलाई, 1993 के जी. ओ. के अनुसार एक ही वार में नियमित की जाती हैं

और 16 जुलाई, 1993 के बाद की गई सहायक अभियंता के पद पर सभी अनुकंपा नियुक्तियों को प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित नियुक्तियां माना जाता था और चूंकि वरिष्ठता को नियम 1955 की योजना के नियम 35 (ए. ए.) के संदर्भ में नियमित नियुक्ति की तारीख से सौंपा जाना होता है, इसलिए इसके परिणामस्वरूप, सहायक अभियंता के रूप में अनुकंपा से नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को 1 जनवरी, 2004 को प्रकाशित होने पर नियमित नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता दी गई थी।

डी.

ई.

31. इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि नागपाल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के बाद सहायक अभियंता के पद पर की गई अनुकंपा नियुक्तियां, जो कानून बन गई और संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी थी, लेकिन फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1995 के बाद से समूह 'बी' पदों पर ऐसी अनुकंपा नियुक्तियां करना जारी रखा, जो वास्तव में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत थीं, लेकिन फिर भी ऐसी अनुकंपा नियुक्तियों को जारी रखने की अनुमति दी गई जो बाद में सेवा के सदस्य बने और इस समय तक वे पिछले दो दशकों से अधिक समय से सेवा कर रहे हैं।साथ ही, अपीलार्थियों के कहने पर शुरू की गई कार्यवाही के दौरान उनकी नियुक्तियों में किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया गया है और यह सूचित किया जाता है कि उन्हें आगे पदोन्नत किया गया है और उनमें से कुछ सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं।

च

जी.

32. यदि हम सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची को देखें जो अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत का कारण है, तो सहायक ए का पहला बैच

एच.

275

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु और अन्य की सरकार [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

अनुकंपा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर नियुक्त इंजीनियरों को सीनियर Nos.172 से 174 तक इंगित किया जाता है।इन आवेदकों को शुरू में 14 दिसंबर, 1988 से 9 सितंबर, 1992 तक नियुक्त किया गया था और 16 जुलाई, 1993 से एकल स्ट्रोक द्वारा नियमित किया गया था और उनमें से बाकी सीनियर Nos.175 से 181 तक थे।बाद में, 20 फरवरी, 1995 से 12 जनवरी, 1998 तक नियुक्त किए गए वरिष्ठ Nos.288-307 से अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों का संकेत दिया जाता है और उनकी प्रारंभिक नियुक्ति को नियमित नियुक्ति माना जाता था।जहां तक सीधी भर्तियों का संबंध है, उन्हें 1991-1992 (तमिलनाडु लोक सेवा आयोग चयन) की श्रेणी में दर्शाया गया है, जिसे सीनियर Nos.182-202 से दिखाया गया है, जिन्हें निर्विवाद रूप से, पहले बैच में अनुकंपा से नियुक्त लोगों की नियमित नियुक्तियों के काफी बाद, 3 मई, 1995 से 7 मार्च, 1996 तक नियुक्त किया गया था।जहाँ तक दूसरे बैच के प्रत्यक्ष चयन का संबंध है, उन्हें वर्ष 1993-1995 (तमिलनाडु लोक सेवा आयोग चयन) की श्रेणी में दिखाया गया है और उनके नाम सीनियर Nos.308-475 से इंगित किए गए हैं और सभी को 29 जनवरी, 1998 से 13 अक्टूबर, 1999 तक नियुक्त किया गया था।

ग

33. यह और स्पष्ट करने के लिए कि जहां तक आयोग के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का संबंध है, सहायक अभियंता के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के क्रम के अनुसार निर्धारित की गई है, लेकिन अनुकंपा से नियुक्त सहायक अभियंताओं से नीचे रखी गई है, जिन्हें आयोग के माध्यम से उनके खुले चयन पर सहायक अभियंताओं के रूप में नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों के प्रवेश से बहुत पहले नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है।

डी.

ई.

34. सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची पहली बार 1 जनवरी, 2004 को प्रकाशित की गई थी जिसे अभिलेख में रखा गया है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके अपीलकर्ताओं द्वारा पेश की गई शिकायत का कारण यह था कि सहायक अभियंता के पद पर अनुकंपा से नियुक्त लोगों की नियुक्तियां अपनी स्थापना से ही अमान्य थीं और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं थीं और खुले चयन द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम के अपवाद होने के कारण, अनुकंपा से नियुक्त व्यक्तियों को 1 जनवरी, 2004 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में प्रत्यक्ष भर्ती सहायक अभियंताओं से ऊपर वरिष्ठता का दावा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।हालाँकि इस निवेदन को उच्च न्यायालय के समक्ष समर्थन नहीं मिला।35. हमारा विचार है कि नागपाल के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के फैसले के बाद (4 मई, 1994 को तय किया गया) कानून बन गया और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी बन गया, फिर भी अगर नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय के फैसले के तहत की जाती हैं।

च

जी.

एच.

कार्यकारी आदेश, प्रथम दृष्टया, कानून में टिकाऊ नहीं हैं और यह वास्तव में परिणामी वरिष्ठता से इनकार करता है।

36. साथ ही, यह न्यायालय इस स्थिति से बेखबर नहीं हो सकता है कि समूह 'बी' (तत्काल मामले में सहायक अभियंता) में अनुकंपा नियुक्तियां, पहली बार में, 20 मई, 1981 के जी. ओ. के अनुसरण में की गई थीं, जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि ऐसी अनुकंपा नियुक्तियां केवल वित्तीय संकट से उबरने के लिए तदर्थ आधार पर होंगी क्योंकि परिवार ने अपना कमाने वाला खो दिया है और ऐसे पदधारी को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली नियमित चयन प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी और उससे गुजरना होगा, लेकिन बाद में, 16 जुलाई 1993 के जी. ओ. द्वारा, सेवा का सदस्य बनने के लिए चयन के बाद पद धारण करने के लिए योग्यता की शर्त को हटा दिया गया था।इसके परिणामस्वरूप, 16 जुलाई, 1993 से पहले समूह 'बी' (विशेष रूप से सहायक अभियंता, जिनसे हम संबंधित हैं) में की गई ऐसी सभी पूर्व नियुक्तियां स्वीकृत रूप से तदर्थ आधार पर की गई थीं और 16 जुलाई, 1993 के जी. ओ. के तहत शर्त को हटा दिए जाने के कारण, ऐसे सभी दयालु नियुक्तियों को 16 जुलाई, 1993 से सरकार द्वारा एक ही झटके से नियमित कर दिया गया था और बाद में सहायक अभियंता के पद पर की गई अनुकंपा नियुक्तियों को, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नियमित नियुक्ति माना गया था।

ग

डी.

37. न तो 20 मई, 1981 का जी. ओ. और न ही 16 जुलाई, 1993 का जी. ओ. चुनौती का विषय था, और जब तक अनुकंपा नियुक्तियों पर सवाल उठाया गया, तब तक और 1 जनवरी, 2004 को सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने की तारीख तक, ऐसे अनुकंपा से नियुक्त व्यक्तियों ने 7 से 12 वर्षों के लिए सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर ली थी।

ई.

च

38. यह न्यायालय न्यायिक नोटिस ले सकता है कि सहायक अभियंताओं के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां संबंधित जी. ओ. दिनांक 20 मई, 1981 या 16 जुलाई, 1993 के तहत की जाती हैं और यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि जब ऐसी अनुकंपा नियुक्तियां की गई थीं, तो उनमें से कोई भी प्रारंभिक नियुक्ति के समय अपात्र था या नियुक्ति करने वाले की ओर से गलत तरीके से प्रस्तुत करने/छिपाने के कारण नियुक्त किया गया था।जब तक मामला इस न्यायालय में गया, तब तक प्रत्येक अनुकंपा से नियुक्त व्यक्ति अब लगभग दो दशकों से अधिक समय से सेवा में है और जैसा कि सूचित किया गया है, उन्हें आगे पदोन्नत किया जाता है और उनमें से कुछ अपनी सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं।इस समय, इस स्तर पर की गई कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी निश्चित रूप से अधिकार और ए को खतरे में डाल सकती है।

जी.

एच.

277

एम. केंद्र देवी बनाम तमिल नाडु और अन्य की सरकार [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

अनुकंपा से नियुक्त व्यक्तियों के हित, जो भले ही लाभार्थी थे, लेकिन कभी भी गलती पर नहीं थे, वास्तव में इस न्यायालय के निर्णय के लिए अनुकंपा से नियुक्तियां करने में राज्य अधिकारियों के साथ निहित है जो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून था और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी था।

39. विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, यह सवाल अभी भी उभरता है कि क्या ऐसे दयालु नियुक्त व्यक्ति 1 जनवरी, 2004 को प्रकाशित सहायक अभियंताओं के संवर्ग में अपनी वरिष्ठता का दावा करने के हकदार हैं।

40. यह प्रश्न, हमारे प्रथम दृष्टया, इस कारण से सकारात्मक प्रतीत होता है कि सभी दयालु नियुक्तियां अलग-अलग समय पर की गई थीं।अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों के पहले समूह को उनकी नियुक्ति की प्रकृति की परवाह किए बिना 16 जुलाई, 1993 से नियमित कर दिया गया था और अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों के दूसरे समूह को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित माना गया था और वे नियम, 1955 की योजना के नियम 35 (एए) के संदर्भ में परिणामी वरिष्ठता का दावा करने के हकदार बन गए थे और यदि इसे इसके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, तो 1 जनवरी, 2004 को प्रकाशित अनुकंपापूर्ण नियुक्तियों को सौंपी गई वरिष्ठता में कोई कमजोरी नहीं दिखाई देती है।यह भी अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि सेवा का सदस्य बनने के बाद, दयालु नियुक्तियों को बाद में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से नियमित किया जाता है।

ग

डी.

ई.

41. इसके विपरीत, जो तथ्य अभिलेख में आया है और 1 जनवरी, 2004 की वरिष्ठता सूची से परिलक्षित होता है, वह यह है कि अपीलार्थी सीधे भर्ती किए गए हैं, जो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अपने चयन के बाद सेवा में शामिल हुए थे और उनके सेवा का सदस्य बनने से पहले, अनुकंपा नियुक्तियों के पहले और दूसरे बैच को नियमित किया गया था और ऐसा होने के कारण, हमारे विचार में, 1 जनवरी, 2004 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में परिलक्षित होने के अनुसार अनुकंपा से नियुक्त, प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए वरिष्ठता को उचित रूप से सौंपा गया है, जो नियम 1955 के नियम 35 (एए) के अनुरूप है।

च

जी.

42. हम, एक स्तर पर, यह विचार रखते थे कि क्या ऐसी नियुक्तियां जो इस न्यायालय के फैसले के विपरीत थीं, हस्तक्षेप के योग्य हैं, लेकिन मानवता के पहलू और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे दो दशकों से अधिक समय से सेवा में हैं, हम प्रतिकूल टिप्पणियां करने के लिए अनिच्छुक हो गए जो उनके लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं।

इस स्तर पर, इससे पहले कि हम मामले को समाप्त करने का निर्णय लें, हमने राज्य सरकार के विद्वान वकील से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए कहा कि कम से कम, नागपाल के मामले (उपरोक्त) (4 मई, 1994 को निर्णय) में इस अदालत के फैसले के बाद, किस परिस्थिति में सहायक अभियंताओं के पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं जो एक समूह 'बी' पद है।

43. हमारे आदेश के अनुपालन में, सरकार के श्रम कल्याण और कौशल विकास सचिव द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है और राज्य सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण इस बात से संतुष्ट नहीं है कि इस न्यायालय के 4 मई, 1994 के नागपाल के मामले (ऊपर) में निर्णय पहली बार कानून विभाग द्वारा 27 सितंबर 2001 के पत्र के माध्यम से सरकार को उपलब्ध कराया गया था।नागपाल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने मुख्य रूप से आगे बढ़कर 29 नवंबर, 2001 के पत्र द्वारा शिक्षकों, डॉक्टरों और पुलिस कांस्टेबल जैसे कुछ श्रेणियों के पदों को दरकिनार करते हुए अनुकंपा नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और विद्वान वकील ने इस न्यायालय को आगे सूचित किया कि शिक्षकों के संवर्ग में चार नियुक्तियां जो कि समूह 'बी' पद है, उसके बाद राज्य अधिकारियों द्वारा की गई थीं और फिर भी सरकार इस न्यायालय के फैसले से इतनी अवगत थी कि अनुकंपा नियुक्तियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को स्पष्ट निर्देश के साथ अधिसूचित किया गया था कि ऐसी अनुकंपा नियुक्तियां पहली बार 19 जुलाई, 2006 के एक पत्र द्वारा केवल समूह 'सी' और 'डी' पदों तक ही सीमित रखी जाएंगी।

ग

डी.

ई.

44. साथ ही, हलफनामे में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है कि सहायक अभियंता के पद के अलावा, जिस पर इस न्यायालय के समक्ष विवाद लाया गया है, राज्य सरकार द्वारा 4 मई, 1994 को नागपाल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के बाद विभिन्न विभागों में समूह 'बी' पदों में कितनी अनुकंपा नियुक्तियां की गई हैं।यह तथ्य विभिन्न कारणों से स्पष्ट रूप से मौन है जिसे इस न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से समझा जा सकता है।

च

45. राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखने के बाद, इस न्यायालय ने यह कहते हुए अपनी पीड़ा दर्ज की है कि 4 मई 1994 के नागपाल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को टालने में तमिलनाडु सरकार का यह रवैया, जो न केवल कानून था, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी था, अगर अभी भी इस तरह से अनदेखी और उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसा ए

जी.

एच.

राज्य सरकार का कार्य अक्षम्य है और इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

46. प्रतिद्वंद्वी दलीलों और हमने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन पर ध्यान देने के बाद, हालांकि हम नागपाल के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के बाद समूह 'बी' के तहत इस तरह की अनुकंपापूर्ण नियुक्तियां करने में राज्य सरकार की प्रथा की निंदा करते हैं, फिर भी यह न्यायालय वरिष्ठता सूची को बाधित करने से बचता है, जो संबंधित अनुकंपा से नियुक्त सहायक इंजीनियरों को सौंपी गई है, जिन्हें नियम, 1955 के नियम 35 (एए) के तहत निर्विवाद रूप से परिणामी वरिष्ठता दी गई है, जो हमारे हस्तक्षेप की मांग नहीं कर सकता है, इस विलंबित चरण में, उनमें से प्रत्येक के दो दशकों से अधिक समय तक सेवा में रहने के बाद और वास्तव में उनमें से प्रत्येक और एक व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया जा रहा है, हालांकि वह लाभार्थी नहीं था।47. नतीजतन, ये अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार उपरोक्त टिप्पणियों के साथ खारिज कर दी जाती हैं।खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं |

ग

डी.

48. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

एच.